<u>न्यायालयः-सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-95/2000

CNR No UPBB180000172000

शाह नैय्यर अहमद आदि बनाम तिलकराम आदि

<u>09.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादीजन वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत आराजी नम्बरी 1730/3/1 रकबा 1.162 हे०, के मालिक काबिज व दखील है?
2. क्या दावा वादीजन अल्पमूल्यांकित हैं?
3. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
4. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
5. क्या वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
6. क्या वादीजन किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 हेतु दिनांक 27.09.2024 को पेश हो।

(प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।